राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी : श्री गौरव सैनी आई0ए0एस0

क्रमांक : राजस्व/2019/3513 दिनांकः– 24.12.2019

प्रार्थना पत्र संख्या : 60/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

–प्रार्थी–

बनाम

रेवन्तराम दत्तक पुत्र मोहनी जाति ढोली निवासी खींवासर तहसील व जिला चूरू

–अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

अन्तरिम स्थगन आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होने से अन्तरिम स्थगन आदेश बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थी इस अमर का जारी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 940/161 तादादी 6.0830 हैक्टेयर रोही ग्राम खींवासर तहसील चूरू के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति आगामी तारीख पेशी तक बनाये रखें। अप्रार्थी को इसमें कोई उजर या आपत्ति हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय की आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.01.2020 को उपस्थित आकर पेश करें।

अन्तरिम स्थगन आदेश आज दिनांक 24.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

24.12.19

(गौरव सैनी)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू